प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ ।

सेवा में,

समस्त संयुक्त विकास आयुक्त,
(अलीगढ़ मण्डल को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश ।

पत्रांक–सी 130 /बजट/17/2010–11 लखनऊ::दिनांक:: 22-अप्रैल, 2010

विषय–वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए विकास आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में धनराशि का आवंटन ।

महोदय,

शासनादेश संख्या–743/38–3–2010–1114/2009, दिनांक 13–4–2010 द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिये विकास आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि रू0 6,03,20,000/– (रू0 छः करोड़ तीन लाख बीस हजार मात्र) में से संलग्नक–1 में उल्लिखित विवरणानुसार रू0 5,40,45000/– (रू0 पॉच करोड़ चालीस लाख पैतालिस हजार मात्र) का आवंटन विभिन्न मानक मदों में किया जाता है।

2– यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है । व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

3– आवंटित धनराशि का सदुपयोग करते समय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये मितव्ययिता संबंधी आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि मानक मद में व्यय आवंटित धनराशि से अधिक किसी भी परिस्थिति में न हो ।

4– दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना लागू किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक के अवशेषों के 40 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु अलग से बजट व्यवस्था की गयी है, जिसके लिए अलग से बजट आवंटित किया जायेगा ।

5– व्यय की सभी मानक मदों में चालू वित्तीय वर्ष के लिए सम्भावित व्यय का आकलन कर लिया जाय एवं यदि किसी मद में आवश्यकता से अधिक आवंटन हो गया है, तो उसे तत्काल समर्पित कर दिया जाय तथा जिन मदों में आवंटन नहीं किया गया है अथवा आवंटित धनराशि सम्भावित आवश्यकता से कम हो तो उसके संबंध में औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत किया जाय ।

6– व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–सी0ए0–1191/दस–2009–मित–1/2007, दिनांक 26 अक्टूबर, 2009 का विशेष रूप से पालन किया जाये । इसके साथ–साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर–12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैन्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय ।

7– आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13 के अधीन लेखाशीर्षक '2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–आयोजनेतर–001–निदेशन तथा प्रशासन–04–विकास आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय के अन्तर्गत व्यय की सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा ।

क्रमशः पृष्ठ–2/–

8– उपरोक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय नियंत्रण रजिस्टर (आयोजनेतर पक्ष) के पृष्ठ संख्या–216 पर अंकित कर ली गयी है ।

आपसे अनुरोध है कि मासिक व्यय विवरण (बी0एम0–8) डी0डी0ओ0 रिकन्सिलिएशन सहित आहरण के अगले माह की 05 तारीख तक इस कार्यालय में निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। व्यय विवरण में कोषागार बाउचर संख्या व दिनांक का उल्लेख अवश्य किया जाय।

<u>संलग्नक–उपरोक्तानुसार</u>

भवदीय,

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त(लेखा)
ग्राम्य विकास,उ0प्र0 ।

<u>पत्रांक–सी0–130/बजट/17/2010–11–तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0 ।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3– महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
4– विशेष सचिव, ग्राम्य विकास अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन ।
5– संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन ।
6– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2, उ0प्र0 शासन ।
7– संबंधित जिला विकास अधिकारी, उ0प्र0 ।
8– गार्ड फाइल हेतु ।

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त(लेखा)
ग्राम्य विकास,उ0प्र0 ।

पत्र संख्या सी-130/बजट/17/2010-11 दिनांक: 22 अप्रैल-2010 का संलग्नक-1

<u>आवंटन क्रमांक-1</u>

अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेतर

001-निदेशन तथा प्रशासन

04-विकास आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय

वर्ष 2010-2011 (धनराशि हजार रूपये में)

क्रमांक	मण्डल का नाम	01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	04-यात्रा व्यय	05-स्था0 यात्रा व्यय	06-अन्य भत्ते	08-कार्यालय व्यय	09-विद्युत देय	10-जल कर/जल प्रमार	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	13-टेलीफोन पर व्यय	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	29-अनुरक्षण	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	45-अवकाश यात्रा व्यय	49-चिकित्सा व्यय	51- वर्दी व्यय	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	आगरा	2787	757	30	0	317	9	15	3	8	4	30	50	0	0	0	0	4	4014
2	इलाहाबाद	3446	985	30	0	351	9	0	3	8	4	30	18	0	0	0	0	5	4889
3	आजमगढ़	1418	390	30	0	44	10	0	0	8	4	30	0	0	0	0	0	4	1938
4	चित्रकूटधाम	489	150	25	0	3	8	0	0	6	3	0	0	0	0	0	0	0	684
5	बरेली	2952	888	25	0	277	9	40	0	8	4	30	0	0	0	0	0	5	4238
6	बस्ती	522	160	22	0	3	8	0	0	6	3	0	0	0	0	0	0	0	724
7	फैजाबाद	4103	1130	30	0	239	9	20	0	8	4	0	0	0	0	0	0	4	5547
8	देवीपाटन	489	150	23	0	3	9	0	0	6	3	0	0	0	0	0	0	0	683
9	गोरखपुर	4322	1196	35	0	468	10	40	0	8	4	30	0	0	0	0	0	5	6118
10	झांसी	2491	676	30	0	129	8	37	0	6	3	30	0	0	0	0	0	4	3414
11	कानपुर	1806	490	30	0	173	9	50	0	8	4	0	0	0	0	0	0	4	2574
12	लखनऊ	3865	1153	30	0	559	10	40	0	8	4	30	0	0	0	0	0	4	5703
13	मेरठ	2360	645	35	0	334	9	25	0	8	4	30	0	0	0	0	0	5	3455
14	विन्ध्याचल	528	162	25	0	3	8	8	0	6	3	0	12	0	0	0	0	0	755
15	मुरादाबाद	1845	555	25	0	111	8	0	0	6	3	30	0	0	0	0	0	4	2587
16	सहारनपुर	1361	410	25	0	54	8	20	0	6	3	30	0	0	0	0	0	4	1921
17	वाराणसी	3374	911	30	0	396	9	5	0	8	4	30	30	0	0	0	0	4	4801
	राज्य योग	**38158**	**10808**	**480**	**0**	**3464**	**150**	**300**	**6**	**122**	**61**	**330**	**110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56**	**54045**

(रूपये पाँच करोड़ चालीस लाख पैंतालिस हजार मात्र)

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त (लेखा)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0 ।